कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर

प्रार्थी श्रीमती भगवतीदेवी
किस्म मुकदमा धारा–212 राज. काश्त. अधिनियम

विपक्षी श्री नारायण व अन्य
प्रकरण संख्या-27 / 2023

	कार्यवाही विवरण	
23–12–2024	–::निर्णय::–	

उपस्थितः श्री महेन्द्रसिंह चौहान अधिवक्ता–प्रार्थीया
विपक्षीगण– एक पक्षीय

प्रार्थीया द्वारा आदेश 39 नियम 1,2 व धारा 151 सी.पी.सी. व धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की संयुक्त आराजीयात की कृषि भूमि मौजा पायरा पटवार हल्का पायरा तहसील झल्लारा मे स्थित है जिसकी खाता सं. 450 आराजी नम्बर 4156 / 812 रकबा 1.7300 हैक्टेयर है जिसमे प्रार्थीया का 1 / 18 हिस्सा होकर शेष हिस्से पर विपक्षीगण खातेदार काश्तकार है व उक्त आराजीयात का विधिवत रूप से मौके पर बंटवाडा नही हुआ है व मात्र मौखिक बंटवाडा होकर सभी खातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर कृषि भूमि का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है एवं प्रार्थीया भी अपने हिस्से की कृषि भूमि का उपयोग वर्षो से करती आ रही है। यह की मौके पर विपक्षीगण ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के बिना किसी विधिक बंटवाडे के मौके पर बिना विभाजन के निर्माण कार्य कर मौके की स्थिति बदलने हेतु आमादा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमावे कि वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण प्रार्थीया के हिस्से की कृषि भूमि मे काश्त आदि से न तो स्वयं रोके न ही किसी प्रकार का कोई नया कच्चा, पक्का निर्माण कार्य करे।

प्रार्थना–पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। विपक्षीगण बावजुद सूचना के गैर हाजिर रहने से आदेशिका दिनांक 12–04–2022 को विपक्षीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तद्उरान्त पत्रावली पर अधिवक्ता प्रार्थीया को सुना जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

पत्रावली मे अधिवक्ता प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मौके पर विपक्षीगण ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के बिना किसी विधिक बंटवाडे के मौके पर बिना विभाजन के निर्माण कार्य कर मौके की स्थिति बदलने हेतु आमादा है। अतः विपक्षीगण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूलवाद के पाबन्द किया जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / रिकॉर्ड का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात की भूमि मे सहखातेदार दर्ज अंकित है। वादग्रस्त भूमि का सहखातेदारो मध्य विधिवत पांती बंटवाडा नही हुआ है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि का विधिवत पांती बंटवाडा एवं मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थीया के हिस्से कि आराजी में बेजा मजाहमत व दखलंदाजी न करे तथा मौके कि यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 23--12–2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चूण्डावत RAS)
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)